मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र इन्दौर

क्रमांक 88 / 54 / 2016 / चयन इन्दौर दिनांक 03/12/2016

//विज्ञप्ति//

01. आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02 / परीक्षा / 2014 / दिनांक 24.12.2014 के अन्तर्गत राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2014 के तहत सहायक यंत्री (विद्युत) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है । उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन परीक्षा का आयोजन किया जाकर लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा दिनांक 20.10.2016 को जारी किया गया है ।

02. लिखित परीक्षा में अर्ह समस्त आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि विज्ञापन अनुसार समस्त अभिलेख दिनांक 18.09.2016 तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिन आवेदकों के अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग को प्राप्त नहीं होंगे उनके बारे में यह माना जावेगा कि वे साक्षात्कार की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, अतः ऐसे आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी ।

03. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी । सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतया प्रावधिक है, यदि प्रत्याशी राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2014 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी अर्हता समाप्त की जावेगी ।

04. निर्देशानुसार निम्नलिखित आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी नीचे दर्शाए गए कारणों से निरस्त की जाती है :-

क्र.क.	रोलनंबर	नाम	निरस्ती का कारण
01.	EEGW1300117	अंकित गोयल	अभिलेख अप्राप्त होने से ।
02.	EEID0300324	नेहा नागर	अभिलेख अप्राप्त होने से ।
03.	EEBH2200222	नवीन बिरोन	निर्धारित तिथि के पश्चात (दिनांक 21.09.2016 को) अभिलेख प्राप्त होने से ।
04.	EEBH2400295	नितेश भदरोन	विज्ञापन में विज्ञापित शैक्षणिक अर्हता के समान शैक्षणिक अर्हता धारित नहीं होने से ।
05.	EEID0500204	विकास माहोरे	विज्ञापन में विज्ञापित शैक्षणिक अर्हता के समान शैक्षणिक अर्हता धारित नहीं होने से ।

5/ आवेदकों के वर्तमान पते पर उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त किये जाने हेतु पत्र जारी किए गए है । निरस्ती पत्र जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में आवेदक यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर सकते है । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्तीबद्ध किए जावेंगे।

उप-परीक्षा नियंत्रक